



राजस्थान-सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दस्तावेज सं० : 0141-2224878

ई-मेल: [rmsc.mnjy@gmail.com](mailto:rmsc.mnjy@gmail.com)

क्रमांक: एक04(219)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16

दिनांक:

790

9/3/16

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

राजस्थान।

अति-व्यवस्थापक

विषय:- अति0 बजट डिमाण्ड भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में समय-समय पर डिमाण्ड अनुसार एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा केन्द्रों के उपयोग हेतु विभिन्न मर्दों में बजट आंशिक किया गया है।

जिसके उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देशों, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के क्रम में माह दिसम्बर 2015 में आपके अधीन लेखाकारों के साथ विचार विमर्श भी किया गया है जिसके आधार पर विभिन्न उपमर्दों से अनुपयोगी राशि प्रत्याहरित की गई तथा इन मर्दों में मार्च 16 तक होने वाले तथा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अति0 बजट की डिमाण्ड प्राप्त की गई जिसके अनुसार समय समय पर आपके कार्यालयों को अति0 बजट राशि आंशिक भी की गई है।

इस संबंध में पुनः लेख है कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आंशिक बजट के पेटे यदि कार्यालयों में राशि अवशेष रहती है तो उसे प्रत्याहरित करने की कार्यवाही करावे एवं मार्च 16 तक होने वाली सभी प्रकार के बकाया दायित्वों जैसे मानव ससाधन के मानदेय भुगतान, उपकरणों के कन्जुमेबल्स/रिजेन्ट्स/एमसी/सीएमसी आदि के व्यय हेतु यदि अति0 बजट डिमाण्ड की आवश्यकता रहती है तो अविलम्ब विवरण सहित अति0 बजट डिमाण्ड इस कार्यालय को ईमेल [rmsc.mnjy@gmail.com](mailto:rmsc.mnjy@gmail.com) पर दि० 10.03.16 तक प्रेषित करावे। जिससे अति0 बजट हस्तांतरित किया जा सके।

इसके पश्चात् यदि आपके अधीन कार्यालयों में किसी भी प्रकार की बकाया देनदारियां रहती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एक04(219)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16/

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चि0 एवं स्वा0 सेवाएँ, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, को भेजकर लेख है कि आपके जोन के अधीन चिकित्सा केन्द्रों में उक्तानुसार पालना सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें।
5. प्रभावी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर